

प्रवेश आर फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या-243 / प्र0फी0नि0स0 / 2018
लखनऊ: दिनांक 08 अगस्त, 2018
आदेश

दीवान इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, मेरठ। (कोड-074)

अधिनियम-2006 की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781 / सोलह-1-2015-14(34) / 2015 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 निर्गत की गयी है, जिसमें दिये गये प्राविधानानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण किया जाना है।

2. उक्त विनियमावली-2015 के अनुपालन में समिति के आदेश संख्या-64 / प्र0फी0नि0स0 / 2018 दिनांक 19 जून, 2018 द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	बी0टेक	55000.00
02	बी0फार्मा	63300.00
03	बी0आर्क0	57730.00
04	बी0एफ0ए0	85250.00
05	बी0एफ0ए0डी0	85250.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0	70000.00
07	एम0बी0ए0	59700.00
08	एम0सी0ए0	55000.00
09	एम0फार्मा0	68750.00
10	एम0आर्क0	57500.00
11	एम0टेक0	57500.00

उक्त आदेश में ऐसी संस्थाओं को जो समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती है उन्हें अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित समिति की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में संस्थान द्वारा अपना प्रस्ताव / लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए शैक्षिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

२५

3. संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं विनियमावली-2015 में दिये गये प्राविधानानुसार संस्थान के प्रतिनिधियों को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 26.07.2018 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्थान की ओर से डा० सतीश कुमार, निदेशक एवं श्री अमरीश भारद्वाज, फाइनेन्स आफीसर ने अवगत कराया कि संस्थान में एम०बी०ए० व एम०सी०ए० पाठ्यक्रम संचालित हैं।

4. समिति द्वारा संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को सुना गया एवं विनियमावली-2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निम्नवत् को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारण हेतु विचार किया गया:-

(i) डेप्रीसिएशन पर व्ययभार

शैक्षिक संस्थान की स्थापना दीर्घ कालीन समय के लिए बिना किसी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार स्थापित संस्थाओं में आयकर के भुगतान का प्रभारण निहित नहीं है। अतएव परिसम्पत्तियों पर ह्रास की गणना के लिए भी आयकर प्रभारण का उद्देश्य निहित नहीं है। चूँकि शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना में लाभ का उद्देश्य न होने के कारण आयकर प्रभारण की गणना अपेक्षित नहीं है। अतः डब्लू०डी०वी० अथवा एस०एल०एम० दोनों पद्धतियों से संस्था के संचालन हेतु कैश फ्लो पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका एक मात्र प्रभाव इस व्यय को आधार बनाकर फीस निर्धारण में किया जा सकता है। संस्था द्वारा सृजित की गयी अवसंरचनाओं का पूर्ण लाभ एवं उपयोग दूरगामी वर्षों तक समान रूप से उपलब्ध रहता है। इसलिए शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से कतिपय संस्थाओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यदि उनकी परिसम्पत्तियों पर डब्लू०डी०वी० (रिटन डाउन वैल्यू) पद्धति से ह्रास मूल्य दिया जाता है तो पहले के वर्षों में अधिक शुल्क और उसके बाद के वर्षों के शुल्क की राशि कम करने का औचित्य बनेगा। इस प्रकार संस्थाओं में स्थापित परिसम्पत्तियों पर छात्रों को समान लाभ की उपलब्धता बनाये रखने में संस्थाओं की परिसम्पत्तियों पर स्टेट लाइन पद्धति के अनुसार डेप्रीशिएसन ग्रेजुएटेड रूप में देना औचित्यपूर्ण पाया गया है। विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्थाओं के शुल्क निर्धारण प्रक्रिया में कम्पनी एक्ट-1956 में वर्णित स्टेट एण्ड पद्धति का उपयोग किया गया है।

(ii) विज्ञापन पर व्ययभार

शैक्षिक संस्थानों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार शैक्षिक/गैर शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति एवं छात्रों को नये सत्र में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आदि देने के लिए अथवा संस्था परिसर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराने या प्रयोगशालाओं के लिए सामग्री आदि क्रय करने के लिए प्रायः विज्ञापन दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शैक्षिक संस्थाये अपने संस्थान की उपलब्धियों के विषय में समय-समय पर बहुमूल्य पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो एवं टीवी के माध्यम से सजावटी विज्ञापन कर प्रचार-प्रसार कराते हैं या कभी-कभी कतिपय

संस्थान विशेष इवेंटस को एस्पॉसर्ड कराने में अधिक धनराशि व्यय करते हैं। ज्ञातव्य है कि संस्थाओं के संचालन हेतु आवश्यक मदों के अन्तर्गत व्यय हुई धनराशि को संज्ञान में लिया जाना आवश्यक है, जिसमें प्रवेश सूचना, स्टाफ की आवश्यकता, निर्माण कार्य अथवा सामग्री क्रय के लिए टेण्डर आदि के आवश्यक मदों में ही कार्य संचालन के उद्देश्य से विज्ञापन आवश्यक है। विनियमावली-2015 में दिये गये प्राविधान के अनुसार शुल्क के निर्धारण में आवश्यक एवं मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विज्ञापनों के लिए वार्षिक व्यय के मद में संस्था के कुल व्यय का अधिकतम एक प्रतिशत धनराशि को शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया है।

(iii) वेतनमद पर व्ययभार

संस्थाओं में छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों स्टाफ के वेतन की धनराशि व्यय के एक मुख्य मद के रूप में निहित होती है। संस्थाओं द्वारा चूकि अभातशिप के नार्मस के अनुसार स्टाफ की व्यवस्था की जाती है, अतएव संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए अभातशिप के नार्मस के अनुसार वेतनमद में धनराशि के व्यय का आंकलन कर रेगुलेट करते हुए व्यय की सीमा के अन्तर्गत अनुमन्य किया गया है। उक्त धनराशि के सत्यापन हेतु नियमावली-2015 के प्राविधान के अनुसार टी0डी0एस0 कटौती का प्रमाण-पत्र, फार्म-16 एवं नियुक्ति पत्र तथा वेतन भुगतान के प्रमाण-पत्र को संज्ञान में लिया गया है।

(iv) विकास पर व्ययभार

संस्था की ओर से सुनवाई के समय यह कहा गया कि भविष्य में विकास हेतु शुल्क निर्धारण में 10 प्रतिशत की दर से आंकलन किया जाना कम है, चूँकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरन्तर विकास होने के कारण एवं नई तकनीक लागू होने के कारण प्रदेश में छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करने हेतु संस्थाओं पर व्ययभार आता है। संस्थाओं की स्थापना ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 / आर्कीटेक्चर कौंसिल ऑफ इण्डिया एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण व्यवस्था की जाती है तथा संस्थाओं द्वारा भविष्य के विकास को पूर्णरूप से एन्टीसिपेट कर दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः समिति इस तथ्य से सहमत है कि आगामी योजनाओं के लिए एक निश्चित धनराशि अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। अतः विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विकास मद में 10 प्रतिशत की दर के अनुसार शुल्क निर्धारण किया गया है।

(v) मंहगाई पर व्ययभार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गत तीन वर्षों में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मंहगाई के कारण भविष्य में व्ययभार में सम्भावित व्यय वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आगामी तीन वर्षों के लिए आधार माना गया है। अतः प्रचलित वास्तविक

सी0पी0आई0 (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर 4.44 प्रतिशत के दर से आगामी तीन वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर मंहगाई की मद को शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया है।

(vi) कुल व्ययभार प्रति छात्र

संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में व्यय हो रही कुल धनराशि को ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित एवं पाठ्यक्रमवार स्वीकृत छात्रों की संख्या से विभाजित करके प्रतिछात्र व्यय की गणना की जायेगी। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि व्ययभार की कुल धनराशि को अध्ययनरत् वास्तविक छात्र-छात्राओं की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की जानी चाहिए न कि ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित स्वीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या से की जाय। इसमें यह तथ्य विचारणीय है कि संस्था का शुल्क तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा, अतएव वास्तविक छात्रों की संख्या पर आँगणन की स्थिति में यदि आगामी वर्षों में प्रवेशित छात्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने पर संस्था में प्रोफिटियरिंग होगी जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निहित भावनाओं/निर्णय के प्रतिकूल होगा। अतः विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्थानों द्वारा विभिन्न मदों में व्यय हो रही कुल धनराशि को अखिल भारती तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत कुल छात्रों की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की गयी है।

(vii) ब्याज पर व्ययभार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से यदि अवसंरचना एवं अन्य फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स के लिए ऋण लिया गया है एवं उस पर ब्याज का भुगतान संस्था द्वारा किया गया है तो ब्याज की अधिकतम 25 प्रतिशत धनराशि या रू0 3000/- डिग्री पाठ्यक्रम रू0 1000/- डिप्लोमा पाठ्यक्रम को प्रति स्वीकृत छात्र संख्या जो भी कम हो व्ययभार में सम्मिलित किया गया है। ऐसे ऋण पर ब्याज की धनराशि व्ययभार में सम्मिलित नहीं की जायेगी जिस ऋण का उपयोग छात्रावास एवं अन्य ऐसे किसी कार्य में किया गया है जिसके लिए छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है।

(viii) डायरेक्ट आवर्ती व्यय का व्ययभार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पुस्तकालय में क्रय किये गये पीरियाडिकल्स एवं जनरल की धनराशि को आवर्ती व्यय मानते हुए इस मद में सम्मिलित किया गया है परन्तु संस्था द्वारा क्रय की गयी पुस्तकों की धनराशि को पूँजीगत व्यय माना गया है।

(ix) विद्युत पर व्ययभार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था द्वारा विद्युत व्यय पर होने वाला कुल व्यय इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया है कि विद्युत का उपयोग केवल छात्रहित में शैक्षिक भवन एवं प्रयोगशालाओं में उपकरणों पर किया जाये।

5. शुल्क निर्धारण हेतु समिति द्वारा संस्थाओं के वर्ष 2017-18 की प्रमाणित बैलेन्स सीट को आधार मानकर वर्ष 2017-18 के लिए व्यय धनराशि का आंकलन किया गया। इस प्रकार से प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2018-2019 के लिए सी0पी0आई0 (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर 4.44 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए प्राप्त धनराशि में वर्ष 2019-20 के लिए सी0पी0आई0 इन्डेक्स के आधार पर 4.44 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2020-21 के लिए पुनः सी0पी0आई0 इन्डेक्स के आधार पर 4.44 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में की गयी बढ़ोत्तरी क्रमशः 4.44 प्रतिशत, 4.44 प्रतिशत एवं पुनः 4.44 प्रतिशत का औसत मूल्य निकालकर तथा इस प्रकार से प्राप्त आंकलित धनराशि पर विकास मद में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए अन्तिम शुल्क निर्धारित किया गया।

6. उपरोक्त बिन्दुओं एवं छात्रावास पर हुए व्यय के अनुपात को संज्ञान में लेकर समिति द्वारा आगणन पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि दीवान इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, मेरठ में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में निम्नवत् शुल्क निर्धारित किया जाता है—


संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
दीवान इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, मेरठ।	एम0बी0ए0	रु0 67,835.00
	एम0सी0ए0	रु0 67,835.00

संस्था के शुल्क निर्धारण से सम्बंधित गणना पत्र पृष्ठ संख्या-01 से 05 तक संलग्न है।

उपरोक्त निर्धारित शुल्क शैक्षिक सत्र 2018-19 से आगामी दो वर्षों (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह शिक्षण शुल्क सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में प्रवेशित छात्रों से लिया जाना होगा। पूर्व से प्रवेशित छात्र-छात्रों से इनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना प्रभावी रहेगा।

7. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट www.afrcup2018.in पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।


8. उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा-4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण का गठन आदेश संख्या-3393/सोलह-1-2009-5(डब्लू-48)/2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका है।


(एफ०आर० खान)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/प्राचार्य, दीवान इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, मेरठ।
2. कुल सचिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एफ०आर० खान)
सचिव

DEWAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, MEERUT
College Code-074

Year of Establish ment of Institution	Courses	Cost calculated based on Audited Financial Data submitted by Institution for 2017-18	Inflation Cost 4.44% for 2018-19 on Col. 3	Cost after 4.44% Escalation for 2018-19 = (3+4)	Cost after 4.44%inflation for 2019-20 on Col. 5	Cost after 4.44%inflation for 2020-21 on Col. 6	Average Cost = sum(5+6+7)/3	Development Allowance @ 10% on Col No. 8	Proposed Fee for 2018-19, 2019-20 & 2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MBA (2 Years)	56500	2509	59009	61629	64365	61668	6167	67835
	MCA (3 Years)	56500	2509	59009	61629	64365	61668	6167	67835



**DEWAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, MEERUT
REASONS FOR DISALLOWANCE OF EXPENSES**

The Proposal for fee Fixation has been scrutinized and it was observed that the Institution has shown Expenditure excessively, therefore, to arrive at reasonable cost on educational part for the sanctioned student for the year under consideration, some adjustment / deductions have been made in the expenditure claimed as under:

(Rs. In Lacs)


S.No.	Nature of the Expenditure	Amount Claimed by the Institute	% to be Disallowed	Amount of Disallowance	Amount Allowed by Us	Reasons for Disallowance
1	Advertisement Expenses	10.41	-	6.17	4.24	Advertisement Expenses are allowed maximum upto 1% of the Total Expenditure as per guidelines provided from Technical Education Department (UP Government).
2	Interest paid on finance	0.19	-	0.14	0.05	Interest maximum 25% of the actual expenditure or Rs. 3000 per student whichever is lower should be allowed as per guidelines provided from Technical Education Department (UP Government).
3	Teaching & Non Teaching	278.82	0.40	111.53	167.29	Only 35% of Salary shown in Income & Expenditure account is supported by Form 16 & TDS return, hence 40 % of the expenditure towards salary is being disallowed
4	Fee Concession & Refund	16.51	1.00	16.51	0.00	Fee Concession / refund is discounting in Fee, which is not an expenditure to be allowed for calculation of cost per student to be charged from other students
5	Examination Fee	1.93	1.00	1.93	0.00	Being Examination fee separately charged from Students, hence it is disallowed
				136.28		



DEWAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, MEERUT

RECURRING EXPENDITURE IN CONSOLIDATED FORM FOR THE YEAR 2017-18

S.No.	Particulars	Expenses As shown by the Institute as per Audited Balance sheet 2017-18	Amount that should be allowed in our opinion	Annexure No	Basis of apportionment	MBA	MCA
	Sanctioned Student Strength (No.)		510			240	270
							(Rs, in Lacs)
1)	Salary Expenses:						
	Teaching & Non Teaching	278.82	167.29	1	No. of Students	78.72	88.57
	Sub Total (1)	278.82	167.29			78.72	88.57
2)	Direct Recurring Expenses on Course:						
	Medicine Consumed	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
	Lab Consumables	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
	Purchases of Books	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
	Purchases of Journals	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
	Sub Total (2)	0.00	0.00			0.00	0.00
3)	Common Operative Exp. College Admin.						
	Advertisement Expenses	10.41	4.24	1	No. of Students	2.00	2.24
	Faculty Visit Expenses	0.12	0.12		No. of Students	0.06	0.06
	Administration Charges	0.20	0.20		No. of Students	0.09	0.11
	Hostel Maintenance Expenses	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
	Annual Maintenance of Computers	1.87	1.87		No. of Students	0.88	0.99
	Maintenance of Furniture	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
	Annual Maintenance of Others Assets	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
	Bank Charges	1.20	1.20		No. of Students	0.56	0.64
	Annual Maintenance of Building	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
	Affiliation Expenses	4.00	4.00		No. of Students	1.88	2.12
	Electricity Expenses	19.54	19.54		No. of Students	9.20	10.34
	Examination Fee	1.93	0.00	1	No. of Students	0.00	0.00
	Business Promotion Expenses	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
	Fee Concession & Refund	16.51	0.00	1	No. of Students	0.00	0.00
	General Expenses	0.82	0.82		No. of Students	0.39	0.43
	Inspection Charges	0.01	0.01		No. of Students	0.00	0.01
	Insurance Expenses	0.16	0.16		No. of Students	0.08	0.08
	Internet Expenses	14.64	14.64		No. of Students	6.89	7.75
	Honorarium (Guest Faculty)	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
	Legal & Professional Charges.	0.35	0.35		No. of Students	0.16	0.19
	Maintenance / Running Exp of Generator	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
	Mess Charges & Hostel Charges	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
	Newspaper, Books & Periodicals	0.16	0.16		No. of Students	0.08	0.08



DEWAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, MEERUT

Office Expenses	0.74	0.74		No. of Students	0.35	0.39
Postage & Stamps	0.48	0.48		No. of Students	0.23	0.25
Printing & Stationery Expenses	5.47	5.47		No. of Students	2.57	2.90
Housekeeping Expenses	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
Donation	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
Security Charges	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
Staff & Student Welfare Expenses	2.59	2.59		No. of Students	1.22	1.37
Student Placement & Training Charges	0.74	0.74		No. of Students	0.35	0.39
Subscription & Membership Fee	9.92	9.92		No. of Students	4.67	5.25
Sports & Industrial Training Expenses	5.27	5.27		No. of Students	2.48	2.79
Telephone Expenses	4.01	4.01		No. of Students	1.89	2.12
Medical Expenses	0.14	0.14		No. of Students	0.07	0.07
Student Consultancy Charges	1.13	1.13		No. of Students	0.53	0.60
Travelling Charges	7.73	7.73		No. of Students	3.64	4.09
Uniform Expenses	0.10	0.10		No. of Students	0.05	0.05
Repair & Maintenance Expenses	10.08	10.08		No. of Students	4.74	5.34
Co Curricular Activities	1.75	1.75		No. of Students	0.82	0.93
Registration Expenses	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
Gardening	0.17	0.17		No. of Students	0.08	0.09
Festival Expenses	0.05	0.05		No. of Students	0.02	0.03
Rent Fee & Taxes	5.12	5.12		No. of Students	2.41	2.71
Transport Expenses	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
Maintenance/ Running of Vehicles Expenses	3.68	3.68		No. of Students	1.73	1.95
Conveyance Expenses	0.00	0.00		No. of Students	0.00	0.00
Sub Total (3)	131.09	106.48			50.12	56.36
4) Interest:						
Interest paid on finance	0.19	0.05		No. of Students	0.02	0.03
Interest paid to Others	0.00	0.00			0.00	0.00
Sub Total (4)	0.19	0.05	1		0.02	0.03
5) Depreciation on Assets:						
Building	0.00	1.56		As per SLM Method	0.73	0.83
Furniture	0.00	1.58			0.74	0.84
Computers	0.00	3.73			1.76	1.97
Books	0.00	5.59			2.63	2.96
Lab Equipments	0.00	-			0.00	0.00
Other equipments / Assets	0.00	0.83			0.39	0.44
Vehicles	0.00	1.24			0.58	0.66
Sub Total (5)	13.81	14.53			6.83	7.70
GRAND TOTAL OF EXPENSES	423.91	288.35			135.69	152.66
Grand Total of Expenses	423.91	288.35			135.69	152.66
Cost Per Student					0.56500	0.56500



DEWAN INSTITUE OF MANAGEMENT STUDIES,MEERUT

AS PER COMPANIES ACT (STRAIGHT LINE METHOD)

FIXED ASSETS DETAILS

(Rs. In Lacs)

ASSETS	GROSS BLOCK AS ON 01.04.2017	ADDITION DURING THE YEAR 2017-18 AS SHOWN IN AUDITED STATEMENT	ADDITION DURING THE YEAR 2017-18 IN OUR OPINION	VALUE OF ASSETS FOR CALCULATION OF DEPRECIATION	RATE	DEPRECIATION FOR THE YEAR 2017-18	ALLOWABLE DEPRECIATION
Land	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
WIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
College Building	46.64	0.00	0.00	46.64	3.34%	1.56	1.56
Furniture & Fixtures	16.23	0.37	0.37	16.60	9.50%	1.58	1.58
Computer & Software	20.54	2.46	2.46	23.00	16.21%	3.73	3.73
Books & Periodicals	12.18	1.80	1.80	13.98	40.00%	5.59	5.59
Lab Equipments	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21%	0.00	0.00
Others Equipemnts	15.82	1.65	1.65	17.47	4.75%	0.83	0.83
Vehicle	8.65	4.45	4.45	13.10	9.50%	1.24	1.24
Total	120.06	10.73	10.73	130.79		14.53	14.53

